आस्ट्रिया गणराज्य
और
भारत गणराज्य
के बीच
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी करार
के कार्यान्वयन के लिए
प्रशासनिक प्रबन्ध

आस्ट्रिया और भारत गणराज्य गणराज्य के बीच, वियना में 4 फरवरी, 2013 को हस्ताक्षर किए गए करार (जिसे अब के बाद करार के रूप में कहा गया है) के अनुच्छेद 15 (i) के अनुसार, सक्षम प्राधिकरणः

– आस्ट्रिया गणराज्य के लिए
संघीय श्रम, सामाजिक मामले और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री,

– भारत गणराज्य के लिए
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री।

निम्नलिखित प्रबन्ध पर पहुँचे हैं:

भाग 1
सामान्य प्रावधान
अनुच्छेद 1
परिभाषाएं

इस प्रशासनिक प्रबन्ध में प्रयुक्त शब्दों को उसी अर्थ में प्रयोग किया जायेगा, जैसा कि करार के अनुच्छेद–1 में दिया गया है।

अनुच्छेद–2
संपर्क अभिकरण

1. करार के अनुच्छेद–16 के अनुसार निम्नलिखित को सम्पर्क अभिकरण के रूप में नामित किया जाएगाः

आस्ट्रिया गणराज्य के लिए

– द मेन एसोसिएशन ऑफ आस्ट्रियन सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस,

भारत गणराज्य के लिए
– कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ।

2. सक्षम प्राधिकरण, प्रशासनिक प्रबन्ध को संशोधित करने की आवश्यकता के बिना, सम्पर्क अभिकरणों और सक्षम अभिकरणों के नामों में परिवर्तन को, लिखित में, एक दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद–3
सम्पर्क अभिकरणों के कार्य

1. सम्पर्क अभिकरणों के कार्य इस प्रशासनिक प्रबन्ध में बताए गए अनुसार होंगे। करार के कार्यान्वयन के लिए वे एक दूसरे की सहायता करेंगे और वे शामिल व्यक्तियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के साथ–साथ, एक दूसरे को सीधे सूचित करेंगे।
2. सम्पर्क अभिकरण करार और इस प्रशासनिक प्रबन्ध के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक और उपयुक्त संयुक्त प्रक्रियाओं और फार्मों (जर्मन, अंग्रेजी और हिन्दी में) पर सहमत होंगे।
3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ–2 के बावजूद, दोनों संविदाकारी राज्यों में आवश्यक तकनीकी अपेक्षाएं पूरी कर लेने के मामले में, सम्पर्क अभिकरण जितनी जल्दी संभव हो, आंकड़ों के इलेक्ट्रानिक आदान–प्रदान पर सहमत होंगे।

भाग– II
लागू विधान से सम्बन्धित प्रावधान
अनुच्छेद–4
लागू विधान पर प्रमाण–पत्र

1. करार के अनुच्छेद 7 से 9 के अन्तर्गत उठने वाले मामलों के अनुसार, जहां एक संविदाकारी राज्य का विधान लागू है, सक्षम अभिकरण, नियोजक अथवा स्व–रोजगार वाले व्यक्ति के अनुरोध पर, यह बताते हुए कि कर्मचारी अथवा स्व–रोजगार वाला व्यक्ति उनके विधान के अन्तर्गत आता है और उस अवधि को दर्शाते हुए, जिसके लिए प्रमाण–पत्र मान्य होगा, एक प्रमाण–पत्र जारी करेगा।
2. प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता अथवा यथातथ्यता के सम्बन्ध में न्यायसंगत संदेह के मामले में, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ–3 में नामित दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम अभिकरण, मामले के हल के लिए सीधे बातचीत करेंगे।
3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में संदर्भित प्रमाण–पत्र
जहां आस्ट्रिया का विधान लागू होता है
– सम्बन्धित सिकनेस इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा।

जहां भारत का विधान लागू होता है
– कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी किए जाएंगे;

एक संविदाकारी राज्य का सक्षम अभिकरण, जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ–1 में संदर्भित प्रमाण–पत्र जारी करता है, इस प्रमाण–पत्र की एक प्रति विचाराधीन कर्मचारी अथवा स्व–रोजगार वाले व्यक्ति के साथ–साथ कर्मचारी के नियोजक को भी प्रदान करेगा और पारस्परिक रूप से सहमत तरीके से अन्य संविदाकारी राज्य के सम्पर्क अभिकरण को अवगत रखेगा।

भाग–3
लाभों से सम्बन्धित प्रावधान
अनुच्छेद–5
लाभ दावों पर अभिक्रिया

1. सक्षम अभिकरण, करार के अनुच्छेद–18 के साथ पठित भाग–III लागू होने वाले लाभ दावे के सम्बन्ध में, एक दूसरे को सीधे अथवा सम्पर्क एजेंसी के माध्यम से तत्काल अवगत कराएंगे।
2. सक्षम अभिकरण, उसके बाद दावे का पता लगाने के लिए सुसंगत किसी अन्य तथ्यों को एक–दूसरे को सूचित करेंगे और जहां उपयुक्त हो, मेडिकल रिपोर्ट उन्हें भेजेंगे।
3. संविदाकारी राज्य का सक्षम अभिकरण, जिसके पास लाभ के लिए आवेदन दाखिल किया गया है, आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित सूचना को सत्यापित करेगा।
4. सक्षम अभिकरण दावे पर निर्णय के बारे में भी एक दूसरे को अवगत कराएंगे।

अनुच्छेद–6
लाभों का भुगतान

1. सक्षम अभिकरण सीधे ही दावेदारों अथवा उनके कानूनी प्रतिनिधियों को भी, जैसा भी मामला हो, पेंशन और अन्य नकद लाभों का भुगतान करेंगे।
2. करार के अनुच्छेद–15 के पैराग्राफ 4 के सम्बन्ध में, सक्षण अभिकरण को लाभार्थियों अथवा उनके कानूनी प्रतिनिधियों से, जैसा भी मामला हो, प्रमाण मांगने का हक प्राप्त है कि पेंशन अथवा नकद लाभ के भुगतान जारी रखने के लिए शर्तें अभी भी पूरी की जा रही हैं (विशेषतया लाइफ सर्टिफिकेट्स)।

अनुच्छेद–7
आंकड़े

दोनों संविदाकारी राज्यों के सम्पर्क अभिकरण इस प्रशासनिक प्रबन्ध के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत जारी किए गए प्रमाण–पत्रों की संख्या और करार के अन्तर्गत लाभार्थियों को किए गए भुगतान पर आंकड़ों का आदान–प्रदान करेंगे। यह आंकड़े वार्षिक आधार पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। इन आंकड़ों में लाभार्थियों की संख्या और लाभों की कुल राशि शामिल होगी।

भाग–IV
अन्तिम प्रावधान
अनुच्छेद–8
समयावधि

यह प्रशासनिक प्रबन्ध करार के लागू होने की तारीख से प्रभावी होगा और इसकी वही अवधि होगी।
जर्मन, अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं, प्रत्येक की 2 मूल प्रतियों में वियना में 4 फरवरी, 2013 को किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

आस्ट्रिया गणराज्य के
संघीय श्रम, सामाजिक
मामले एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री की
ओर से

रूडाल्फ हंड्स्टोरफर

भारत गणराज्य के
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री की
ओर से

वयलार रवि

Unterzeichner	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
Datum/Zeit	2017-11-28T05:27:14+01:00
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bka.gv.at/verifizierung
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.